<u>न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, केकड़ी</u>
(पीठासीन अधिकारी दिनेश धाकड़, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :– 30 / 2024(पुरानी–139 / 2023)
प्रविष्टि दिनांकः– 01.08.2024(पुरानी–26.12.2023)
निर्णय दिनांक :– 23.12.2024

::–<u>उनवान</u>–::

1. श्री सत्यनारायण गुर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक।

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री भगवान सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह निवासी ग्रा0 पो0 टिलावतों का बास घेवर तह0 ओसिया जिला जोधपुर एफ.बी.ओ. मैसर्स श्री जोधपुर मिष्ठान भण्डार चुंगी नाका टोंक रोड़ टोडारायसिंह जिला केकड़ी।
2. मैसर्स श्री जोधपुर मिष्ठान भण्डार चुंगी नाका टोंक रोड़ टोडारायसिंह जिला केकड़ी राज०।

– अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थिति :
(1) पेरोकार सरकार उपस्थित।
(2) विपक्षी भगवान सिंह स्वयं उपस्थित।

::–<u>निर्णय</u>–:: **दिनांकः 23.12.2024**

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 28.08.2023 को समय 03:30 पीएम पर मैसर्स श्री जोधपुर मिष्ठान भण्डार चुंगी नाका टोंक रोड़ टोडारायसिंह जिला केकड़ी पर पहुंचा। वहां श्री भगवान सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री भगवान सिंह ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र नही होना स्वीकार किया।

2. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में एल्युमिनियम की दो ट्रे में लगभग 10–12 किलोग्राम **रबड़ी (खोया बेस्ड स्वीट)** रखी हुई थी। इस रबड़ी का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका

होने पर विक्रेता श्री भगवान सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह को गवाह के सामने फार्म नं 05 ए में वास्ते नमूना जांच क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता श्री भगवान सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर मैने स्वयं ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

3. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान में एल्युमिनियम की दो ट्रे में लगभग 10–12 किलोग्राम़ रबड़ी (खोया बेस्ड स्वीट) में से 1 किग्रा रबड़ी (खोया बेस्ड स्वीट) को पूर्णतया होमोजिनियस कर एक स्टील की ट्रे में वेईंग मशीन से तुलवाकर वास्ते नमूना जाँच खरीदा जिसकी जिसकी बाजार भाव के समान कीमत श्री भगवान सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह को रू 700/– अक्षरे सात सौ रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर श्री भगवान सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह के हस्ताक्षर तथा उपस्थिति गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

4. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **रबड़ी (खोया बेस्ड स्वीट)** की खरीदशुदा 1 किग्रा को बराबर–बराबर नियमानुसार चार भाग तैयार कर प्रत्येक भाग को साफ एवं सूखे प्लास्टिक के डिब्बो में तैयार प्रत्येक 250–250 ग्राम पैक को बराबर चार भागों में तैयार कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3762 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं भगवान सिंह तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–2 खांकी कागज में लपेटकर सिर मुंह को गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर, प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3762 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर गवाहो के समक्ष श्री भगवान सिंह एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें तथा गवाहों के हस्ताक्षर भी करवाए। चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने कब्जें में लिया तथा इस समस्त कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर नमूना सील अंकित कर, गवाहों के सामने श्री भगवान सिंह को पढ कर सुनाकर हस्ताक्षर करवाए।

5. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

6. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/969 दिनांक 03.10.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्थास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोर्ट सं. एल.एस./3603/एक्ट/2023/3648 दिनांक 13.09.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **रबड़ी (खोया बेस्ड स्वीट)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

7. हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **रबड़ी (खोया बेस्ड स्वीट)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उपधारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण पर शास्ति लगाया जाना न्यायोचित है।

–:आदेश:–

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2) की उप धारा (ii), एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49) का स्वीकार किया जाता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 1,000/– (अक्षरे एक हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 23.12.2024 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
केकड़ी–राज0

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी